IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मौर्य कालीन प्रशासनिक व्यवस्था

Mukesh Kumar
(Assistant Professor, History Department,Govt College Shiv,Barmer,Rajasthan)

सार:- मौर्य प्रशासन प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य के दौरान स्थापित शासन की एक अत्यधिक केंद्रीकृत और कुशल प्रणाली थी। इसका महत्व इसकी उन्नत नौकरशाही संरचना में निहित है, जिसने प्रभावी शासन, सामाजिक कल्याण और साम्राज्य के विस्तार को सुगम बनाया।मौर्य प्रशासन ने प्राचीन भारत में शासन की नींव रखी।मौर्य प्रशासन ने बाद के भारतीय साम्राज्यों को प्रभावित किया।मौर्य प्रशासन ने भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने पर भी स्थायी प्रभाव डाला।मौर्य काल में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था एक विशाल और अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही शासन थी, जिसमें राजा सभी शक्तियों का स्रोत था।राजा ने किसी दैवीय शासन का दावा नहीं किया; इसके बजाय, यह माता-पिता की निरंकुशता का एक रूप था।कौटिल्य ने राजा को 'धर्मप्रवर्तक' या सामाजिक व्यवस्था का प्रवर्तक बताया है।केंद्र में सर्वोच्च पदाधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था और उन्हें 48000 पन्ना वेतन दिया जाता था। उनकी संख्या 18 थी।कुछ सर्वोच्च पदाधिकारियों में शामिल हैं:-मंत्री (मुख्यमंत्री),पुरोहित (मुख्य पुजारी),सेनापति (प्रधान सेनापति), औरयुवराज (युवराज) तीर्थों में सर्वोच्च पदाधिकारी थे।

मुख्य शब्द:- समिति,कानून,प्रशासन,वेतन,मन्त्रिपरिषद्,माप-तौल,सामाजिक कल्याण,केंद्रीकृत नौकरशाही,गुप्तचर|

प्रस्तावना:- 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था।

आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और दक्षिण में दक्कन के पठार तक, यह साम्राज्य अपने कुशल प्रशासन, सैन्य कौशल और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था।

अशोक के शासनकाल में साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया तथा नैतिक शासन पर आधारित नीतियों को लागू किया गया।

राजनीतिक एकता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में मौर्य साम्राज्य के योगदान ने बाद की भारतीय सभ्यताओं की नींव रखी।शाही राजधानी पाटलिपुत्र के साथ मौर्य साम्राज्य चार प्रांतों में विभाजित था। अशोक के शिलालेखों से प्राप्त चार प्रांतीय राजधानियों के नाम, तोसली (पूर्व में), उज्जैन (पश्चिम में), स्वर्णागिरी (दक्षिण में) और तक्षशिला (उत्तर में) थे। संरचना के केंद्र में कानून बनाने की शक्ति राजा के पास होती थी। जब वर्णों और आश्रमों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था (जीवन चक्र) समाप्त होती थी तो तब कौटिल्य राजा को धर्म का प्रचार करने की सलाह देता था।

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नगरों के प्रशासन के बारे में एक पूरा अध्याय लिखा है। विद्वानों का कहना है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरों का प्रशासन इस सिद्धांत के अनुरूप ही रहा होगा। मेगास्थनीज़ ने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का शासन एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था जिसमें ३० सदस्य थे। ये तीस सदस्य पाँच-पाँच सदस्यों वाली छः समितियों में बंटे होते थे। प्रत्येक समिति का कुछ निश्चित काम होता था। पहली समिति का काम औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन से सम्बंधित था। इसका काम वेतन निर्धारित करना तथा

मिलावट रोकना भी था। दूसरी समिति पाटलिपुत्र में बाहर से आने वाले लोगों खासकर विदेशियों के मामले देखती थी। तीसरी समिति का ताल्लुक जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण से था। चौथी समिति व्यापार तथा वाणिज्य का विनिमयन करती थी। इसका काम निर्मित माल की बिक्री तथा पण्य पर नज़र रखना था। पाँचवी माल के विनिर्माण पर नजर रखती थी तो छठी का काम कर वसूलना था।

राजनीतिक एकता:- भारत में सर्वप्रथम मौर्य वंश के शासनकाल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित हुइ थी। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सुदृढ़ केन्द्रीयकरण था परन्तु राजा निरंकुश नहीं होता था। मौर्य काल में गणतन्त्र का ह्रास हुआ और राजतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। कौटिल्य ने राज्य सप्तांक सिद्धान्त निर्दिष्ट किया था, जिनके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी - राजा, अमात्य जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और, मित्र।

प्रमुख विशेषताएं:-

✓मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत था।
✓मौर्य प्रशासन में विशाल नौकरशाही थी।
✓मौर्य प्रशासन में न्याय, कल्याण, और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया गया।
✓मौर्य प्रशासन ने लोक कल्याण पर ज़ोर दिया।
✓मौर्य प्रशासन में शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया।
✓मौर्य प्रशासन में अकाल, महामारी, और बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए उपाय किए गए।
✓मौर्य प्रशासन में बाल, वृद्ध, रोगी, विपत्तिग्रस्त, और अनाथों का पोषण किया गया।
✓मौर्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद थी।
✓मौर्य प्रशासन में अमात्यों की सहायता से राजा प्रशासन के मुख्य अधिकारियों का चुनाव करता था।

मौर्य साम्राज्य केंद्रीय प्रशासन:- शाही राजधानी पाटलिपुत्र के साथ मौर्य साम्राज्य चार प्रांतों में विभाजित था। अशोक के शिलालेखों से प्राप्त चार प्रांतीय राजधानियों के नाम, तोसली (पूर्व में), उज्जैन (पश्चिम में), स्वर्णागिरी (दक्षिण में) और तक्षशिला (उत्तर में) थे। संरचना के केंद्र में कानून बनाने की शक्ति राजा के पास होती थी। जब वर्णों और आश्रमों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था (जीवन चक्र) समाप्त होती थी तो तब कौटिल्य राजा को धर्म का प्रचार करने की सलाह देता था।

पाटलिपुत्र की शाही राजधानी के साथ मौर्य साम्राज्य चार प्रांतों में विभाजित था। अशोक के शिलालेखों से प्राप्त चार प्रांतीय राजधानियों के नाम, तोसली (पूर्व में), उज्जैन (पश्चिम), स्वर्णागिरी (दक्षिण में) और तक्षशिला (उत्तर में) थे। मेगस्थनीज के अनुसार, साम्राज्य के प्रयोग के लिए 600,000 पैदल सेना, 30,000 घुडसवार सेना, और 9000 युद्ध हाथियों की समारिक सेना थी। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के उद्देश्य के लिए एक विशाल जासूस प्रणाली थी जो अधिकारियों और दूतों पर नजर रखती थी। राजा ने चरवाहों, किसानों, व्यापारियों और कारीगरों आदि से कर लेने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया था। राजा प्रशासनिक अधिरचना का केंद्र होता था और मंत्रियों और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राजा करता था।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के केन्द्रीय प्रशासन की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। केन्द्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बँटा हुआ था। प्रत्येक विभाग को 'तीर्थ' कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों के प्रधान पदाधिकारी का उल्लेख हुआ है-

1. मंत्री और पुरोहित- चन्द्रगुप्त के समय कौटिल्य इन दोनों पदों पर नियुक्त थे। बिन्दुसार के समय प्रारम्भ में कौटिल्य एवं इनके बाद खल्लाटक प्रधानमंत्री बना। अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। प्रधानमंत्री को अग्रामात्य कहा जाता था।
2. समाहर्ता -राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। (वित्तमंत्री)
3. सन्निधाता -राजकीय कोषालय का प्रमुख अधिकारी होता था।
4. सेनापति - युद्ध विभाग का प्रमुख अधिकारी था।
5.युवराज - राजा का उत्तराधिकारी होता था।
6.प्रदेष्टा - फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश।

7.नायक -नगर रक्षा का अध्यक्ष/सेना का संचालक।
8.कर्मान्तिक - राज्य के उद्योग-धन्धों का मुख्य निरीक्षक।
9.व्यावहारिक - दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश।
10.मन्त्रिपरिषदाध्यक्ष - मन्त्रिपरिषद् का अध्यक्ष।
11.दण्डपाल - सर्वोच्च पुलिस अधिकारी।
12.अन्तपाल - सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक।
13.दुर्गपाल - देश के भीतर दुर्गों का प्रबन्धक।
14.नागरिक - नगर का प्रमुख अधिकारी।
15.प्रशास्ता -राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित एवं समस्त रिकॉर्ड को लेखबद्ध करने वाला अधिकारी।
16.दौवारिक - राजमहलों की देख-रेख करने वाला प्रधान अधिकारी।
17.आन्तर्वशिक - अंत:पुर का अध्यक्ष।
18.आटविक - वन विभाग का प्रधान अधिकारी था।

उपर्युक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अनेक अन्य पदाधिकारियों का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। इन्हें 'अध्यक्ष' कहा गया है। राजा सहित कुल – 27 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है।अर्थशास्त्र में विभागीय अध्यक्षों तथा उनके कार्यों की एक लम्बी सूची मिलती है। सम्भवतः इन अध्यक्षों को ही यूनानी लेखकों ने 'मजिस्ट्रेट' कहा है। नाम इस प्रकार हैं:-

1.पण्याध्यक्ष -वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष।
2.सूनाध्यक्ष - बूचड़खाने का अध्यक्ष।
3.गणिकाध्यक्ष - वेश्याओं का निरीक्षक।
4.सीताध्यक्ष - राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष।
5.आकराध्यक्ष -खानों का अध्यक्ष।
6.कोष्ठागाराध्यक्ष-कोष्ठगारों का अध्यक्ष।
7.कुप्याध्यक्ष -वन तथा उसकी सम्पदा का अध्यक्ष।
8.सूत्राध्यक्ष - कटाई-बुनाई विभाग का अध्यक्ष।
9.लोहाध्यक्ष -धातु विभाग का अध्यक्ष।
10.लक्षणाध्यक्ष -मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष।
यह सिक्के जारी करता था जबकि रूपदर्शक नामक अधिकारी मुद्रा का परीक्षण करता था।
11.गोपाध्यक्ष -पशु धन विभाग का अध्यक्ष।
12.वीवीताध्यक्ष - चारागाह का अध्यक्ष।
13.मुद्राध्यक्ष -पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष।
14.नवाध्यक्ष -जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष।
15.पत्तनाध्यक्ष -बन्दरगाहों का अध्यक्ष।
16.संस्थाध्यक्ष -व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष।
17.देवताध्यक्ष - धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष।
18.पौतवाध्यक्ष - माप-तौल का अध्यक्ष।
19.बन्धनागाराध्यक्ष- जेल/कारागार का अध्यक्ष।
20.सुराध्यक्ष - आबकारी विभाग का अध्यक्ष।
21.कोषाध्यक्ष (लक्षणाध्यक्ष) - मुद्रा व टकसाल अधिकारी (सिक्के जारी करना)
22.शुल्काध्यक्ष - चुंगी (सीमा शुल्क) वसूलने वाला अध्यक्ष
23.आयुधागाराध्यक्ष - अस्त्र-शस्त्र के रख-रखाव हेतू
24.मानाध्यक्ष -दूरी एवं समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष

25.लवणाध्यक्ष -नमक अधिकारी

26.द्यूताध्यक्ष -जुआ अधिकारी|

अन्य अधिकारी

(1) गो-अध्यक्ष - पशुधन का अध्यक्ष

(2) अश्वाध्यक्ष - घोड़ों का अध्यक्ष

(3) महामत्रापसरण (महामात्यापसर्प) -गुप्तचर, खुफिया और सूचना विभाग का अधिकारी

(4) प्रशस्त्रि - यह अधिकारी भी जेलों की देखभाल करता था।

मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों का महत्त्वपूर्ण स्थान था, इसको 1000 पण वार्षिक वेतन मिलता था।

गुप्तचर:- मौर्य साम्राज्य के समय एक और बात जो भारत में अभूतपूर्व थी वो थी मौर्यो का गुप्तचर जाल। उस समय पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया था जो राज्य पर किसी बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की खबर प्रशासन तथा सेना तक पहुँचाते थे। प्रशासनिक तंत्र में जासूसी की एक विस्तृत प्रणाली काम करती थी। जासूस संन्यासी, घुमक्कड़, भिखारी आदि के वेश में काम करते थे और दो प्रकार के होते थे:-

✓'संस्था'

✓'संचारी'

पहले वे सार्वजनिक स्थान पर तैनात रहकर काम करते थे, और बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर काम करने लगे।

इस विभाग में तीन प्रकार के अधिकारी थे:-

✓पुलिसनी:- जनसंपर्क अधिकारी जनता की राय एकत्र करता था और उसकी रिपोर्ट राजा को देता था।

✓प्रतिवेदक:- विशेष संवाददाता को किसी भी समय राजा से सीधे संपर्क करने की अनुमति थी।

✓गुढापुरषा:- गुप्त एजेंट|

चाणक्य ने गुप्तचर प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया तथा अधिकारियों के भ्रष्टाचार के प्रभाव को रेखांकित किया।उन्होंने जासूसों की योग्यता, विधियों और प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्यों पर विस्तृत शिक्षा दी।

प्रान्तीय प्रशासन:- चन्द्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारु रूप से चलाने के लिए चार प्रान्तों में विभाजित कर दिया था जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रान्तों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रान्तों की संख्या पाँच हो गई थी। ये प्रान्त थे-प्रान्त राजधानी

✓प्राची (मध्य देश) — पाटलिपुत्र

✓उत्तरापथ — तक्षशिला

✓दक्षिणापथ — सुवर्णगिरि

✓अवन्ति राष्ट्र — उज्जयिनी

✓कलिंग — तोसली

प्रान्तों (चक्रों) का प्रशासन राजवंशीय कुमार (आर्य पुत्र) नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था।

कुमाराभाष्य की सहायता के लिए प्रत्येक प्रान्त में महापात्र नामक अधिकारी होते थे। शीर्ष पर साम्राज्य का केन्द्रीय प्रभाग तत्पश्चात्प्रान्त आहार (विषय) में विभक्त था। ग्राम प्रशासन की निम्न इकाई था, 100 ग्राम के समूह को संग्रहण कहा जाता था। आहार विषयपति के अधीन होता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप दस गाँव की व्यवस्था करता था।

नगर प्रशासनः- मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य शासन की नगरीय प्रशासन छः समिति में विभक्त था।

✓प्रथम समिति — उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था।

✓द्वितीय समिति — विदेशियों की देखरेख करता है।

✓तृतीय समिति — जनगणना।

✓चतुर्थ समिति — व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था।

✓पंचम समिति — विक्रय की व्यवस्था, निरीक्षण।

✓षष्ठ समिति — कर उसूलने की व्यवस्था।

नगर में अनुशासन बनाये रखने के लिए तथा अपराधों पर नियन्त्रण रखने हेतु पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नगर प्रशासन में तीन प्रकार के अधिकारी होते थे- एग्रोनोयोई (जिलाधिकारी), एण्टीनोमोई (नगर आयुक्त), सैन्य अधिकारी।

नगर परिषदः- नगर परिषद के द्वारा जनकल्याण के कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारी भी नियुक्त किये जाते थे, जैसे - सड़कों, बाज़ारों, चिकित्सालयों, देवालयों, शिक्षा-संस्थाओं, जलापूर्ति, बंदरगाहों की मरम्मत तथा रखरखाव का काम करना। नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक कहलाता था। कौटिल्य ने नगर प्रशासन में कई विभागों का भी उल्लेख किया है जो नगर के कई कार्यकलापों को नियमित करते थे, जैसे - लेखा विभाग, राजस्व विभाग, खान तथा खनिज विभाग, रथ विभाग, सीमा शुल्क और कर विभाग।

गांव प्रशासन:- गांवों का प्रशासन एक ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता था जो गोपों और स्थानिकों के लिए उत्तरदायी होता था।शहर के वकील के पास कुछ मजिस्ट्रियल शक्तियां भी थीं। मौर्य प्रशासन में जनगणना लेना एक नियमित प्रक्रिया थी। मौर्य साम्राज्य में व्यापारियों, कृषकों, लुहारों, कुम्हारों, बढ़इयों आदि जैसे लोगों के विभिन्न वर्गों की गणना करने के लिए ग्रामीण अधिकारी (ग्रामिक) और नगरपालिका अधिकारी (नागरिक) जिम्मेदार थे और मवेशी भी, ज्यादातर कराधान उद्देश्यों के लिए। ये व्यवसाय जातियों के रूप में समेकित हुए, भारतीय समाज की एक विशेषता जो आज तक भारतीय राजनीति को प्रभावित करती रही है।

निष्कर्षः-

मौर्य प्रशासन एक अत्यधिक केंद्रीकृत और कुशल प्रणाली थी जिसने साम्राज्य को अपने विशाल क्षेत्रों पर शासन करने में सक्षम बनाया। अपने राजस्व और सैन्य प्रणालियों से लेकर न्यायिक और जन कल्याण पहलों तक, मौर्य प्रशासन शासन का एक ऐसा मॉडल था जिसने भविष्य के भारतीय साम्राज्यों के लिए एक उच्च मानक स्थापित किया। मौर्य प्रशासन की विरासत, विशेष रूप से अशोक के अधीन, न्याय, नैतिक शासन और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने पर जोर देने के लिए याद की जाती है, जिसने प्राचीन भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है।

संदर्भ ग्रंथः-

(1) भारतः एक इतिहास-जॉन की

(2)भारत का प्रागितिहास और आद्य इतिहास – वी.के. जैन

(3) प्रागैतिहासिक भारतः विश्व की संस्कृतियों में इसका स्थान-पंचानन मित्रा

(4) मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पाठ्यपुस्तक- शैलेंद्र नाथ सेन

(5)प्राचीन भारत का इतिहास - डॉ ए.के मित्तल

(6)अद्भुत भारत - ए.एल. बाशम

(7)विश्व इतिहास का सर्वेक्षण - दीनानाथ वर्मा एवं शिव कुमार सिंह

(8)समकालीन विश्व का इतिहास - अर्जुन देव।